

B.Ed – 1st Year

Nakul Sah

Gender, School and Society

Assistant Professor

Course- 6

Lecture – 20

Unit – 2 (a)

Socialization theory **समाजीकरण का सिद्धांत**

वर्तमान में किसी भी सभ्य समाज का आकलन वहां की शैक्षिक और लिंगीय समानता की स्थिति को देखकर किया जाता है। लिंग तथा शिक्षा के कार्य के समुचित संचालन हेतु इनसे सम्बन्धित समाजीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिससे इनका उपयोग किया जा सके। यहाँ समाजीकरण का सिद्धांत तथा उनका उपयोग भारतीय सन्दर्भ में निम्न प्रकार है—

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उन्नति करता है। समाज के नियमों को मानने, उसके आदर्शों पर चलने की प्रक्रिया को हम सामान्य शब्दों में समाजीकरण कह सकते हैं। कोई बालक अपने जन्म के समय शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक, परन्तु जैसे — जैसे उसका विकास होता है तो उसका समाजीकरण भी साथ—ही—साथ होता है।

समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व निम्न प्रकार हैं—

१. आनुवंशिकता
२. सामाजिक वातावरण
३. विद्यालयी वातावरण
४. पारिवारिक वातावरण

५. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
६. अन्य अभिकरणों के साथ मेल—जोल
७. जनसंचार के साधनों की प्रभाविता
८. मित्र तथा समूह
९. सामाजिक अन्तःक्रिया के अवसर
१०. आत्म—प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति के अवसर
११. सामाजिक मान्यताओं तथा रीति—रिवाज
१२. शासन—प्रणाली

बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया पर परिवार, समाज, संस्कृति तथा किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है, इसका प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण में गति तभी आएगी जब समाज से सम्पर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन किया जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया में वर्तमान में विद्यालयों की प्रभावी भूमिका देखी जा सकती है। विद्यालय में कराए जाने वाले कक्षीय तथा कक्षेत्तर क्रियाकलापों के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, क्योंकि—

१. विद्यालयों में बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समाजिकता की भावना पर बल दिया जाता है।
२. विद्यालयों में परस्पर प्रेम, सौहार्द्र तथा सहायता के द्वारा सामूहिकता की भावना पर बल दिया जाता है।
३. विद्यालयों में परस्पर लिंग का आदर करना सिखाया जाता है, जिससे समाजीकरण प्रक्रिया को गति मिलती है।
४. विद्यालयों को समाज का लघु रूप माना जाता है। अतः यहाँ पर सामाजिक ज्ञान प्रदान कर समाजीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाता है।
५. शिक्षा और समाज एक—दूसरे से प्रगाढ़ रूप से सम्बन्धित हैं। शिक्षा के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की और शिक्षा के स्वरूप तथा उद्देश्यों इत्यादि के निर्धारण पर समाज का प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षा के सिद्धांत समाजीकरण में सहायक हैं।

६. लिंगीय सिद्धांतों के द्वारा परस्पर लिंगों के प्रति सम्मान और आदर तथा अन्योन्याश्रितता की भावना के विस्तार द्वारा समाजीकरण में गति आती है।
७. लिंगीय सिद्धांतों को सकारात्मक बनाने का कार्य शिक्षा के सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है।
८. शिक्षा के सिद्धांतों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना सिखाया जाता है, जिससे समाजीकरण में गति आती है।
९. लिंगीय सिद्धांतों के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया में लिंग की समानता की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डाला जाता है।
१०. शिक्षा तथा लिंग दोनों के ही सिद्धांत समाज के अभिन्न अंग हैं और इनसे समाजीकरण को गति मिलती है।

लिंग तथा शिक्षा में सिद्धांतों का महत्व

लिंगीय सिद्धांतों का तथा शिक्षा के सिद्धांतों का महत्व व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए क्या है, इसका आंकलन निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत वर्णित है—

१. ये सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।
२. इन सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण अधिगम कार्य प्रभावी रूप से सम्पन्न होता है।
३. लिंगीय सिद्धांतों के द्वारा कार्य का विभाजन समुचित रूप से किया जाता है।
४. शिक्षा के सिद्धांतों के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया सोद्देश्य होती है।
५. लिंगीय सिद्धांतों के द्वारा लिंगीय महत्व का प्रतिपादन किया जाता है।
६. शिक्षा आजीवन विकास की प्रक्रिया है, इसका प्रतिपादन होता है।
७. शिक्षा के सिद्धांतों द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है।
८. शिक्षा के सिद्धांतों द्वारा शिक्षा तथा समाज के मध्य अनयोन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित होते हैं।

९. लिंगीय सिद्धांतों के द्वारा लिंगों के क्या—क्या तथा समाजीकरण में क्या भूमिका है? इस पर प्रकाश डाला जाता है।

१०. लिंगीय तथा शिक्षा के सिद्धांतों द्वारा उनका व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान में प्रवेश सिखाया जाता है।